

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.1121 of 2026

Rajeev Ranjan son of Sri Birendra Prasad Mandal, resident of Ward No. 2,
Basant Nagar, Tega Tola, P S Katihar, District Katihar, Bihar.

... .. Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Public Health and Engineering Department, Government of Bihar, Patna.
2. The Engineer in Chief cum Registering Authority, Public Health and Engineering Department, Government of Bihar, Patna.
3. The Chief Engineer, (North Bihar), Public Health and Engineering Department, Government of Bihar, Patna.
4. The Superintending Engineer, Public Health and Engineering Circle, Chapra, Muzaffarpur Zone, Bihar.
5. The Executive Engineer, Public Health Division, Chapra, Dak Bunglow Road, Chapra (Saran), Bihar.

... .. Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr. Prabhat Ranjan, Advocate
For the Respondent/s : Mr. Vikash Kumar, SC-11

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE SUDHIR SINGH
and
HONOURABLE MR. JUSTICE RAJESH KUMAR VERMA
ORAL ORDER
(Per: HONOURABLE MR. JUSTICE SUDHIR SINGH)

2 03-02-2026 Following is the relief sought for in the present writ
application:-

(i) Quashing of the Office Order No. 403 dated 06. 10.2025 as contained in Memo No. 2200 dated 06.10.2025 (Annexure P/11) by which, the Executive Engineer, without any Show Cause Notice and without any jurisdiction has debarred the petitioner permanently purportedly in exercise of powers under Bihar Contractors Registration Rules, 2007 read with Clause 33 and 4.8 of



the SBD;

(ii) Restraining the Respondents from proceeding further and giving effect to Office Order No. 403 dated 06.10.2025 as contained in Memo No. 2200 dated 06.10.2025 (Annexure P/11) during the pendency of the present writ application and/or the without the leave of this Hon'ble Court.

2. Learned counsel for the Respondents submits that, vide order dated 06.10.2025 (Annexure-P/11), the petitioner was debarred from performing the work in question. The relevant extract of the same is reproduced hereinbelow:-

"मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत "हर घर नल का जल" से संबंधित संवेदक/एजेन्सी श्री राजीव रंजन, ग्राम बसंतनगर, तेज टोला, पो०-कटिहार, वार्ड सं०-02 जिला-कटिहार, पीन न०-854105 को एकरारनामा संख्या-SBD No.-06/2024-25 के तहत प्रखण्ड-पानापुर एवं मशरख में पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित जलापूर्ति योजनाओं का मरम्मत का कार्य आवंटित है। उक्त जलापूर्ति योजनाओं के मरम्मत का कार्य कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-498 दिनांक-03.03.25, पत्रांक-1711 दिनांक-24.07.25 एवं पत्रांक-1800 दिनांक-08.08.25 एवं सहायक अभियंता , लोक



स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मशरख का पत्रांक-12 दिनांक 17.04.25, पत्रांक-13 दिनांक-22.04.25, पत्रांक-16 दिनांक-03.05.25, पत्रांक-22 दिनांक-21.06.25, पत्रांक-23 दिनांक- 17.06.25, पत्रांक 25 दिनांक-21.06.25, पत्रांक-26 दिनांक 27.06.25, पत्रांक-29 दिनांक-17.07. 25 तथा कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मशरख का पत्रांक-05 दिनांक-23.03.25, पत्रांक-06 दिनांक-28.03.25, पत्रांक-07 दिनांक-01.04.25, पत्रांक-09 दिनांक-03.04.25, पत्रांक 10 दिनांक-11.04. 25, पत्रांक-12 दिनांक-17.04.25, पत्रांक-13 दिनांक 17.04.25, पत्रांक-14 दिनांक-22.04.25, पत्रांक-16 दिनांक-02.05.25, पत्रांक-18 दिनांक-03.05.25, पत्रांक-19 दिनांक-05.05.25, पत्रांक-21 दिनांक-17.05.25, पत्रांक-22 दिनांक-22.05.25, पत्रांक-29 दिनांक-04.06.25, पत्रांक-30 दिनांक 12.06. 25, पत्रांक-31 दिनांक- 16.06.25, पत्रांक-32 दिनांक 23.06.25, पत्रांक-34 दिनांक-07.07 25 द्वारा संवेदक को योजनाओं के मरम्मति एवं संपोषण कार्य कराने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु संवेदक द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए मरम्मति एवं संपोषण का कार्य नहीं कराया जा रहा है। इस स्थिति में डिबार करने एवं अन्य कार्रवाई किये जाने के संबंध में चेतावनी दी गयी थी। इसके बावजूद भी संवेदक



द्वारा उक्त योजनाओं का मरम्मत एवं संपोषण का कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि योजनाओं की मरम्मत एवं संपोषण का कार्य कराने में कोई अभिरुची नहीं है। इनके द्वारा जानबुझकर उच्चाधिकारी के निदेश का अवहेलना की जा रही है, जो कि एकरारनामा के शर्तों के विरुद्ध है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोपरांत एवं बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-II (क) की उप कंडिका -II तथा सामान्य निदेश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक / एजेन्सी श्री राजीव रंजन, ग्राम-बसंतनगर, तेज टोला, पो०-कटिहार, वार्ड सं०-02 जिला-कटिहार, पीन नं०-854105 को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।"

3. Learned counsel for the respondents further submits that the Executive Engineer, *vide* letter no.2663 dated 23.12.2025, proceeded to rescind the agreement entered into with the petitioner. So far as the issue of debarment is concerned, it is submitted that in the event a fresh tender is invited in respect of the same work, the petitioner shall not be entitled to participate therein in view of the debarment order



referred to hereinabove.

4. Learned counsel for the petitioner submits that, if so be the position, he has no objection to the same and accordingly seeks permission to withdraw the present application.

5. In light of the submissions as made on behalf of the parties, the present application stands disposed of.

6. Pending Application(s), if any, shall also stand disposed of.

(Sudhir Singh, J)

(Rajesh Kumar Verma, J)

Suruchi/-

U			
---	--	--	--

